रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082022-238033
CG-DL-E-10082022-238033

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3591] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 2022/श्रावण 19, 1944
No. 3591] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 2022/SHRAVANA 19, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

सं. 26 / 2015–2020

विषयः– अलौह धातु आयात निगरानी प्रणाली (एनएफएमआईएमएस) की न्यूनतम पंजीकरण समयावधि में संशोधन।

का.आ. 3759(अ).—समय–समय पर यथा–संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 और 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय–74 की नीतिगत शर्त सं. 03(ग) और अध्याय–76 की नीतिगत शर्त सं. 01(ग) में संशोधन करती हैः

मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
अलौह धातु आयात निगरानी प्रणाली (एनएफएमआईएमएस) के लिए आयातकों को अनुलग्नक–I (तांबे के लिए) और अनुलग्नक–II (एल्यूमीनियम के लिए) में मदों के आयात के लिए ऑनलाइन प्रणाली में अग्रिम सूचना प्रस्तुत करने और 500 रुपये पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके एक स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। आयातक आयात खेप के आने की अनुमानित तिथि से अधिकतम	अलौह धातु आयात निगरानी प्रणाली (एनएफएमआईएमएस) के लिए आयातकों को अनुलग्नक–I (तांबे के लिए) और अनुलग्नक–II (एल्यूमीनियम के लिए) में मदों के आयात के लिए ऑनलाइन प्रणाली में **अग्रिम सूचना** प्रस्तुत करने और 500 रुपये पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके एक स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। **आयातक को आयात की खेप पहुंचने से पहले**

60 दिन पूर्व और कम से कम 05 दिन पूर्व पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रकार दी गई स्वचालित संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए मान्य होगी।	**पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। पंजीकरण के लिए आवेदन आगमन की प्रत्याशित तिथि से 60 वें दिन से पहले नहीं किया जा सकता है।** इस प्रकार दी गई स्वचालित संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए मान्य होगी।

2. **अधिसूचना का प्रभावः** एनएफएमआईएमएस के तहत आयात खेप के आने की प्रत्याशित तिथि से कम–से–कम 05 दिनों के अग्रिम पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त/शून्य कर दिया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/07/एएम–20/पीसी–2(क)/ई–19469]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2022

No. 26 /2015-2020

Subject : Amendment in minimum registration time period of Non-Ferrous Metal Import Monitoring System (NFMIMS).

S.O. 3759(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 & 9 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Policy condition No.03 (c) of Chapter- 74, and Policy Condition No. 01 (c) of Chapter-76 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS), 2022:

Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
The Non-ferrous metal Import Monitoring System (NFMIMS) shall require importers to submit advance information in an online system for import of items in the Annexure-I (for copper) and Annexure-II (for aluminium) and obtain an automatic Registration Number by paying a registration fee of Rs. 500/-. The importer can apply for registration not earlier than 60th day and not later than 5th day before the expected date of arrival of import consignment. The automatic number thus granted shall remain valid for a period of 75 days.	The Non-ferrous metal Import Monitoring System (NFMIMS) shall require importers to submit **advance information** in an online system for import of items in the Annexure-I (for copper) and Annexure-II (for aluminium) and obtain an automatic Registration Number by paying a registration fee of Rs. 500/-. **The importer shall apply for registration before the arrival of import consignment. Registration can be applied not earlier than 60th day before the expected date of arrival.** The automatic number thus granted shall remain valid for a period of 75 days.

2. **Effect of the Notification:** The requirement of advance registration of minimum 5 days from the expected date of arrival of import consignment under NFMIMS has been abolished/made zero.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/07/AM-20/PC-2(A)/E-19469]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.08.10 22:47:20 +05'30'